पत्रांक–5/स0भू0 को0 (अवैध हस्तांतरण)–123/2016....2884.....(5)/रा०

झारखण्ड सरकार,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

उदय प्रताप, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक–....10-07-18

विषय :– दिनांक–03.07.2018 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–18 में "अन्यान्य" के रूप में लिये गये निर्णय का संसूचन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–03.07.2018 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की मद संख्या–18 में "अन्यान्य" के रूप में लिये गये निर्णय का पूर्ण उद्धरण संसूचन हेतु प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची के पत्रांक–0758, दिनांक–03.07.2018 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(उदय प्रताप)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–5/स0भू0 को0 (अवैध हस्तांतरण)– 123/2016.2884(5)/रा० राँची, दिनांक-10-07-

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–0758, दिनांक–03.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापंक–5/स0भू0 को0 (अवैध हस्तांतरण)– 123/2016.2884.(5)/रा० राँची, दिनांक-10-07-18

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन–सह–भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, झारखण्ड, राँची/तकनीकी निदेशक, NIC, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया सभी उपायुक्तों से समन्वय स्थापित कर एवं नियमित रूप से अनुश्रवण कर Online प्रविष्टि हेतु यथोचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Sec-5\Draft 5 Sweta.docx

78

पत्रांक– सी0एस0 01/बैठक (मंत्रि0)–06/2015 0758/

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

सं० स० (श्री उदय प्रताप)

प्रेषक,

एस० के० जी० रहाटे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सचिव,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, रांची।

5583
06/7/18

रांची, दिनांक 03 जुलाई, 2018 ई0।

विषय :– **दिनांक 03.07.2018 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या– 18 में "अन्यान्य" के रूप में लिये गये निर्णय का संसूचन।**

महाशय,

दिनांक 03.07.2018 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–18 में "अन्यान्य" के रूप में लिये गये निर्णय का पूर्ण उद्धरण आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है :–

"मंत्रिपरिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि "अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँचोपरान्त रद्द करने" के संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत निदेश पत्रांक–2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 के क्रम में अवैध जमाबंदी रद्द करने हेतु खोले गए अभिलेखों पर अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व में निर्गत मैनुवल लगान रसीद के आधार पर ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। अवैध जमाबंदी के अभिलेखों में पारित अंतिम आदेश से उपरोक्त निर्णय प्रभावित होगा। वैसे सभी अन्य मामले, जिसमें किसी प्रकार की कार्यवाही के बिना भी लगान रसीद निर्गत किया जाना बाधित है, उन सभी मामलों में भी ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था करते हुए रसीद निर्गत किया जाय।"

विश्वासभाजन,

03/07/18

(एस० के० जी० रहाटे)
सरकार के प्रधान सचिव